



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1942 (श0)

(सं0 पटना 115) पटना बुधवार 17 फरवरी 2021

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

15 फरवरी 2021

सं० 3/वित्तु-01-01/2019-1315/गृ०वि०—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सह पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 55 एवं धारा-94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, दूरसंचार अधीनस्थ पदाधिकारी (प्रचालक) भर्ती, प्रोन्नति और संवर्ग नियमावली, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली “बिहार पुलिस दूर संचार (वितन्तु) एवं तकनीकी सेवा नियमावली, 2021” कही जायेगी।

(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।- इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(i) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) “विभाग” से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार;

(iii) “चयन पर्वद” से अभिप्रेत है केन्द्रीय चयन पर्वद;

(iv) “अवर सेवा आयोग” से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग;

(v) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(vi) “संवर्ग नियंत्री प्राधिकार” से अभिप्रेत है पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून कोटि के लिए गृह विभाग (आरक्षी शाखा);

- (vii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;
- (viii) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस दूरसंचार (वितंतु) एवं तकनीकी सेवा;
- (ix) "डी०सी०पी०डब्लू०" से अभिप्रेत है पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली;
- (x) "पुलिस महानिदेशक" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 5(1) के तहत सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी;
- (xi) "बिहार पुलिस रेडियो संगठन" से अभिप्रेत है वह संगठन जो बिहार पुलिस बल का एक अंग है एवं जो विधि एवं व्यवस्था और अपराधों के निवारण एवं उद्भेदन से संबंधित संदेशों के पारेषण के लिए राज्य में बेतार संचार की व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा आदि एवं राज्य सरकार अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा निदेशित संवादों का प्रारेषण आदि की व्यवस्था करे।
- (xii) "बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय" से अभिप्रेत है पटना स्थित बिहार पुलिस रेडियो संगठन का कार्यालय।

3. संवर्ग की संरचना।- (क) यह संवर्ग एक बंद संवर्ग होगा। इस संवर्ग का पदसोपान निम्नवत होगा :-

क्र०	पदनाम	कोटि	स्तर
1	पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी)	मूल कोटि	राजपत्रित
2	वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी)	प्रथम प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
3	अपर पुलिस अधीक्षक (वितंतु)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
4	पुलिस अधीक्षक (वितंतु)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
5	पुलिस उप महानिरीक्षक (वितंतु एवं तकनीकी सेवायें)	चतुर्थ प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

(ख) उक्त पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(ग) पुलिस उप-महानिरीक्षक (वितंतु एवं तकनीकी सेवायें) का पद पुलिस अधीक्षक (वितंतु) के पद पर कार्यरत पदाधिकारी के उपलब्ध नहीं रहने पर भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी से भरा जा सकेगा।

4. संवर्ग बल।-

- (i) संवर्ग का बल वर्तमान बल के अनुसार होगा, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा।
- (ii) नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत बिहार पुलिस रेडियो संगठन के सभी पदाधिकारी इस संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे।

5. संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि।- (I) पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि

- 1 पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) की पंक्ति के पचास प्रतिशत (50%) पद संपुष्टि पुलिस निरीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) की प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) पद पर सीधी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जाएगी।
- 2 सीधी नियुक्ति द्वारा-
 - (क) **शैक्षणिक अहर्ता:-** पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार (Electronics & Communication), अथवा इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन (Electronics & Tele-Communication), अथवा सूचना प्रावैधिकी (Information Technology) अथवा इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक्स (Electrical & Electronics), अथवा इन्स्ट्रुमेन्टेशन इंजीनियरिंग एवं संचार (Instrumentation Engineering & Communication), अथवा इलेक्ट्रीकल इंजियरिंग (Electrical Engineering) जिसमें इलेक्ट्रानिक्स संचार की विशेषज्ञता रही हो विषयों में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियंत्रण में स्नातक डिग्री या समकक्ष में पचास प्रतिशत (50%) अंकों के साथ उत्तीर्णता होगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता पैतालीस प्रतिशत (45%) होगी।
 - (ख) **उम्र सीमा -** इन पदों के लिए उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य पुलिस बल के पुलिस उपाधीक्षकों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित होगी।
 - (ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा सरकार को विहित निदर्शन प्रपत्र में एक अध्यपेक्षा भेजी जायेगी जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लिखित होगी। सरकार इसे आयोग में भेजेगी। आयोग द्वारा पृथक अथवा अन्य समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के साथ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।
 - (घ) **चयन की प्रक्रिया एवं पद्धति-** आयोग द्वारा तीन चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी। परीक्षा सामान्य पुलिस बल के पुलिस उपाधीक्षकों एवं राज्य स्तरीय अन्य पदों के लिए ली जा रही सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही ली जा सकेगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र वही होंगे जो आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित होंगे।

प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवादों की द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा में सभी अनिवार्य विषय वही रहेंगे जो आयोग द्वारा सामान्य बल में पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के सिविल सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित रहते हैं। इन पदों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में अभियंत्रण स्नातक स्तर के समूह (क) इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार (Electronics & Communication), अथवा समूह (ख) इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन (Electronics & Tele-

Communication), अथवा समूह (ग) सूचना प्रावैधिकी (Information Technology) अथवा समूह (घ) इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical & Electronics), अथवा समूह (ड.) इन्स्ट्रुमेंटेशन इन्जीनियरिंग एवं संचार (Instrumentation Engineering & Communication), अथवा समूह (च) इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग (Electrical Engineering) जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स संचार की विशेषज्ञता हो, विषय होंगे एवं इन विषय में से कोई एक विषय का चयन अभ्यर्थियों द्वारा किया जायेगा, जिसकी परीक्षा ली जायेगी।

तृतीय चरण में सफल उम्मीदवारों की अन्तर्वीक्षा परीक्षा होगी एवं इसमें सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण होगा जिसमें सफल होने पर पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) अथवा पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग द्वारा सरकार को की जायेगी और तदनुसार सरकार द्वारा नियुक्ति को अधिसूचित किया जाएगा।

(ड.) प्रशिक्षण एवं वरीयता -

- (i) पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) को सामान्य पुलिस उपाधीक्षक कोटि के लिए निर्धारित बेसिक पुलिस प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण की समाप्ति पर इन्हें डी०सी०पी०डब्ल्यू० के द्वारा निर्धारित उच्चतर संचार पाठ्यक्रम (Advanced Communication Course) का प्रशिक्षण प्राप्त कर इसमें उत्तीर्ण होना होगा।
- (ii) उपाधीक्षकों की आपसी वरीयता उन्हीं मापदण्डों पर आधारित होगी, जो राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस में सीधे नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों के लिए यथाविहित होंगे।

(च) परिवीक्षा एवं संपुष्टि - पुलिस उपाधीक्षकों की परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षों की होगी, जिसमें इन्हें बुनियादी प्रशिक्षण के अतिरिक्त राजस्व पर्यद, बिहार द्वारा निर्धारित एवं आयोजित विभागीय परीक्षा एवं डी०सी०पी०डब्ल्यू० के द्वारा निर्धारित एडवांस कम्युनिकेशन कोर्स की परीक्षा पास करना होगा। परीक्षा पास करने के उपरांत ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इनकी संपुष्टि पर विचार किया जा सकेगा।

3. प्रोन्नति द्वारा-

(क) पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पचास प्रतिशत (50%) पदों को सम्पुष्ट पुलिस निरीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) के पदों से प्रोन्नति द्वारा आयोग की अनुशंसा पर भरा जायेगा। प्रोन्नति के लिए वही नियम एवं शर्त निर्धारित होंगे जो सामान्य पुलिस बल के पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित हैं। डी०सी०पी०डब्ल्यू० के द्वारा निर्धारित एडवांस कम्युनिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण उत्तीर्ण पुलिस निरीक्षक ही प्रोन्नति हेतु विचारण के योग्य होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि, संपुष्टि एवं विभागीय परीक्षा- पदोन्नति से नियुक्त उपाधीक्षकों की परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। इन्हें पुलिस उपाधीक्षक के पद पर संपुष्टि के लिए राजस्व पर्यद, बिहार द्वारा निर्धारित एवं आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. सीधे नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक से प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक के बीच आपसी वरीयता- पुलिस निरीक्षक से प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षकों को इनके संवर्ग में प्रोन्नति के वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों के उपर रखा जायेगा।

(II) वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी)

पद पर प्रोन्नति- वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) पदों को क्रमशः सम्पुष्ट पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। यह प्रोन्नति विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी। प्रोन्नति हेतु अर्हता, मापदण्ड एवं प्रक्रिया वही होगी जो बिहार पुलिस में वरीय पुलिस उपाधीक्षक के लिए सरकार द्वारा यथाविहित हों।

(III) अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर प्रोन्नति-

अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद को वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। वरीय पुलिस उपाधीक्षक (परिचालन) एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के पदधारकों की उक्त पद पर प्रोन्नति की तिथि से एक समेकित वरीयता सूची बनायी जायेगी और वरीयता क्रम के अनुसार उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर प्रोन्नति के लिए वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विचार किया जायेगा। प्रोन्नति पर विचार सामान्य पुलिस बल के बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा प्रोन्नति अधिसूचित की जायेगी।

(IV) पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर प्रोन्नति-

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद को अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। सामान्य पुलिस बल में बिहार पुलिस सेवा के स्टाफ आफिसर के पद पर पदोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ही अपर पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) से पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार कर अनुशंसा की जायेगी। उक्त समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा प्रोन्नति अधिसूचित की जायेगी।

(V) पुलिस उप-महानिरीक्षक (वितन्तु एवं तकनीकी सेवायें) के पद पर प्रोन्नति:-

पुलिस उप-महानिरीक्षक (वितन्तु एवं तकनीकी सेवायें) के पद को पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर कार्यरत पदाधिकारी से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। इस पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को उप-महानिरीक्षक पद हेतु अनुशंसा के लिए निर्धारित प्रोन्नति समिति के समान होगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि लागू होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा प्रोन्नति अधिसूचित की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक (वितन्तु) के पद पर कार्यरत पदाधिकारी के उपलब्ध नहीं रहने पर इस पद को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी से भरा जा सकेगा।

6. आरक्षण।- संवर्ग के सभी पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

7. बिहार पुलिस रेडियो संगठन का मुख्यालय।- बिहार पुलिस रेडियो का मुख्यालय पटना में कार्यरत होगा तथा यह जिला पुलिस कार्यालय (रिजर्व आफिस सहित) की तर्ज पर कार्य करेगा। बिहार पुलिस रेडियो संगठन अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें एवं वितन्तु) अथवा इनके पदस्थापित न होने पर पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवायें एवं वितन्तु) के अधीन कार्यरत होगा।

8. वेतन और भत्ते।- संवर्ग के पदाधिकारियों को देय वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

9. अवशिष्ट मामले।- इस नियमावली या इसके अधीन निर्गत किसी आदेश से जो मामले आच्छादित नहीं होंगे, वैसे मामले बिहार सेवा संहिता/नियमावली/ संकल्प/बिहार पुलिस हस्तक जो भी राज्य सरकार में समकक्ष पद के लिए अनुमान्य होगा, द्वारा शासित होंगे।

10. निर्वचन।- इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में यदि कोई शंका हो तो तत्संबंधी गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा की गयी व्याख्या/निर्वचन अंतिम होगा।

11. निरसन एवं व्यावृत्ति।-

- (i) रेडियो संगठन में इस नियमावली के नियम-5 में वर्णित (I) से (V) तक के पदों पर सीधी नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित प्रावधानों के प्रभाव में आने से बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के सुसंगत नियम तदनुसार संशोधित समझे जाएंगे।
- (ii) गृह विभाग की अधिसूचना सं० 368 दिनांक 06.07.1989 द्वारा अधिसूचित बिहार पुलिस रेडियो (दूर संचार) अधिनस्थ पदाधिकारी (प्रचालक), भर्ती, प्रोन्नति, संवर्ग नियमावली, 1989 एवं तत्संबंधी पूर्व से निर्गत आदेश/परिपत्र/ निदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (iii) ऐसे निरसन के होते हुए, इस संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय एवं निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश एवं उक्त के आलोक में की गयी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन अथवा इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन की गयी कार्रवाई मानी जायेगी, जैसे कि उक्त तिथि में यह नियमावली लागू हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ईश्वर चन्द्र सिन्हा,

सरकार के विशेष सचिव।

The 15th February 2021

No.-3/Wireless-01-01/2019-1315—Home Department.....In exercise of the powers conferred by proviso of Article 309, of the constitution of India read with Section 55 and Section-94 of Bihar Police Act, 2007, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Telecommunications, Subordinate Officer (Operation) Recruitment, Promotion and Cadre Rules, 1989 (as amended from time to time), as follows:-

1. Short title, Extent and commencement :-

- (1). These Rules will be called the “Bihar Police Telecommunications (Wireless) and Technical Services Rules, 2021”.
- (2). It shall extend to the whole of the State of Bihar
- (3). It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions :- In these rules unless the context otherwise requires-

- (i) “Government” means Bihar Government;

- (ii) "Department" means Home Department (Police Branch), Government of Bihar;
- (iii) "Selection Board" means Central Selection Board;
- (iv) "Subordinate Service Commission" means Bihar Police Subordinate Service Commission;
- (v) "Commission" means Bihar Public Service Commission;
- (vi) "Cadre Controlling Authority" means Home Department (Police Branch) for rank not below Deputy Superintendent of Police;
- (vii) "Appointing Authority" means appointing authority as fixed in Bihar executive rules;
- (viii) "Service" means Bihar Police Telecommunications (Wireless) and Technical Services;
- (ix) "DCPW" means Directorate of Coordination of Police Wireless, Ministry of Home, New Delhi;
- (x) "DGP" means officer appointed under Section 5(1) of Bihar Police Act, 2007;
- (xi) "Bihar Police Radio Organisation" means the organization which is a part of Bihar Police and which arranges the State-wide transmission of messages pertaining to Law & Order and Crime prevention and Investigation. Apart from this, if needed, arranges the transmission of messages as directed by the State Government or Director General of Police in matters relating to natural disasters;
- (xii) "Bihar Police Radio Headquarters" means Bihar Police Radio Organisation office situated at Patna;

3. **Organisation of Cadre:-**

(A) This cadre will be a closed cadre. The hierarchy of this cadre will be as follows :-

Serial No.	Name of Post	Rank	Level
1	Dy. SP (Operation) and Dy. SP (Technical)	Basic Grade	Gazetted
2	Senior Dy. SP (Operation) and Senior Dy. SP (Technical)	First Promotion Level	Gazetted
3	Additional SP (Wireless)	Second Promotion Level	Gazetted
4	SP (Wireless)	Third Promotion Level	Gazetted
5	DIG (Wireless and Technical Services)	Fourth Promotion Level	Gazetted

(B) The Pay scale /Pay level of above posts will be same as fixed by State Government from time to time.

(C) The post of DIG (Wireless and Technical Services) would be filled by an officer of the rank of DIG of Indian Police Service, if the officer working as SP (Wireless) is not available.

4. **Cadre Strength :-**

- (i) Strength of the cadre will be according to the present strength, however, it will be subject to revision by State Government from time to time as needed.
- (ii) All the officers of Bihar Police Radio Organisation, who are already working on the date of enforcement of these rules will be considered the members of this cadre.

5. Appointment, Promotion, Training and Confirmation in the Cadre :-

(I) Appointment, Promotion, Training and Confirmation on the post of Dy. SP (Operation) and Dy. SP(Technical)

1. Fifty percent (50%) posts of the rank of Dy. SP (Operation) and Dy. SP(Technical) will be filled up by promotion of confirmed Police Inspector (Operation) and Police Inspector (Technical) and the remaining fifty percent (50%) posts will be filled through direct recruitment by the appointing authority on the recommendation of the Commission.

2. By Direct Recruitment

(A) **Educational Qualification:-** Minimum educational qualification for the posts of Dy. SP (Operation) and Dy. SP(Technical) will be graduate engineering degree or equivalent passing with fifty percent (50%) marks in any one subject from the subjects of Electronics & Communications or Electronics & Tele-communications, or Information Technology, or Electrical & Electronics, or Instrumentation Engineering & Communication, or Electrical Engineering (with specialization in Electronics communications) from recognized university or institution. The passing marks for members of SC/ST category will be forty five percent (45%).

(B) **Age Limit-** The age limit for these posts will be same as that of directly recruited Dy. SP of General Police force.

(C) The DGP will send to Government in prescribed proforma, a requisition mentioning reservation category-wise number of vacant posts. The commission would organise competitive examination separately or via combined competitive examination for the appointment of other equivalent posts.

(D) **Selection Process and Methodology** - The examination will be conducted by the commission in three phases.

In first phase, there will be a preliminary examination. This examination would be held jointly with civil service preliminary examination for Dy. SP of General police force and other State level posts. The papers for preliminary examination will be same as those fixed for the Civil Service Examination organized by the Commission.

For successful candidate in the preliminary examination, the compulsory papers in the second phase will be same as Civil Service Examination to be conducted by the Commission for Dy. SP of General Police force and other State level posts. As optional subject for these posts, the candidates would select a subject of Engineering graduate level for the examination from group (A) Electronics and Communications, or (B) Electronics and Tele-communications, or (C) Information Technology, or (D) Electrical and Electronics, or (E) Instrumentation Engineering and Communication, or (F) Electrical Engineering with electronics communication specialization.

In the third phase, the successful candidates would be subjected to interview and medical examination. Upon being successful, the recommendation for appointment to the post of Dy. SP (Operation) and Dy. SP(Technical) would be sent by Commission to the

Government and accordingly the Government will notify the appointment.

(E) Training and Seniority – (i) The Dy. SP (Operation) and Dy. SP(Technical) would be imparted basic police training as fixed for General Dy. SP rank. Upon completion of this training, they have to undergo and pass the Advanced Communication Course training as fixed by DCPW.

(ii) The Inter-se-seniority of Dy. SsP will be based on the same benchmarks which are prescribed by the State Government for directly recruited Dy. SP in Bihar Police.

(F) Probation and Confirmation – The probation period of Dy. SPs will be three years from the date of appointment, during which they have to pass basic training examination, departmental examination organized by the Revenue Board, Govt. of Bihar and the Advanced Communication Course examination of DCPW. After passing all of above examinations, the appointing authority would consider them for confirmation of their service.

3. By Promotion - **(A)** Fifty percent (50%) posts of Dy. SP (Operation) and Dy. SP(Technical) would be filled-up by promotion of confirmed Police Inspector (Operation) and Police Inspector (Technical) on the recommendation of the commission. The terms and conditions applicable for promotion shall be same as fixed for promotion from Police Inspector to Dy. SP of General Police force. Only those Police Inspectors will be eligible for consideration for promotion who have passed the Advanced Communication Course training as fixed by DCPW.

(B) Probation period, confirmation and departmental examination- The probation period for Dy. SP appointed by promotion will be two years. They will be required to pass the Revenue board departmental examination for confirmation to the post of Dy. SP.

4. Inter-se-seniority between Directly Appointed Dy. SP and promoted Dy. SP from Police Inspector- Dy. SP promoted from Police Inspectors will be senior to directly recruited Dy. SP who are appointed in the same year as the year of former's promotion.

(II) Promotion to the post of Senior Dy. SP(Operation) and Senior Dy. SP (Technical)-

The posts of Senior Dy. SP (Operation) and Senior Dy. SP (Technical) would be filled by promotion of confirmed Dy. SP (Operation) and Dy. SP (Technical) respectively. This promotion will be notified by the Government based on the recommendation of departmental promotion committee formed by the department. The eligibility, yardstick qualification, benchmarks and procedure for promotion shall be same as notified by the Government for Senior Dy. SP in Bihar Police.

(III) Promotion to the post of Additional SP (Wireless)- The post of Additional SP (Wireless) shall be filled by promotion from Senior Dy. SP (Operation) and Senior Dy. SP(Technical). A consolidated seniority list of officers holding posts of Senior Dy. SP(Operation) and Senior Dy. SP (Technical) will be prepared from the date of promotion on aforesaid posts and on the seniority-cum-merit basis they would be considered for promotion to the post of Additional SP (Wireless). The consideration for promotion will

be done by the Departmental Promotion Committee formed by the department for considering promotion of the Bihar Police Service officials to the post of Additional SP. On the basis of recommendation of the aforesaid Committee Govt. will notify the promotion.

- (IV) **Promotion to the post of SP (Wireless)**- The post of SP (Wireless) shall be filled by promotion from the post of Additional SP (Wireless). The Departmental Promotion Committee formed for promotion to the post of Staff Officer for Bihar Police Service would consider and make recommendation for promotion from the post of Additional SP (Wireless) to the post of SP (Wireless). The government shall notify promotion on recommendation of the aforesaid Committee.
- (V) **Promotion to the post of DIG (Wireless and Technical Services)**- The post of DIG (Wireless and Technical Services) shall be filled by promotion of the officer working as SP (Wireless). The formation of Departmental Promotion Committee for promotion to this post will be identical to the Departmental Promotion Committee fixed for recommending the promotion to the post of DIG for the IPS cadre and **time bound** as fixed by the General Administration Department, Govt. of Bihar shall be applicable in this case. The Government will notify promotion on the recommendation of Departmental Promotion Committee.
In case the officer working as SP (Wireless) is not available, this post shall be filled by a DIG rank officer of the Indian Police Service.
6. **Reservation**- The State government provisions relating to reservation will be applicable to appointment and promotion to all posts of the cadre.
7. **Bihar Police Radio Organisation Headquarters**- The headquarters of Bihar Police Radio will function at Patna and it will work on the model of District Police Office (with reserve office). Bihar Police Radio Organisation will function under Additional Director General (Wireless and Technical Services), and during his not being posted, function under IG (Wireless and Technical Services).
8. **Pay and Allowances**- The officers of the cadre will be entitled to the same Pay and Allowances as fixed by the State Government from time to time.
9. **Residual Matters**- All the matters which are not covered under these rules, or under orders issued under these rules, will be governed by Bihar Service Code/ Rules/Resolution/Bihar Police Manual, as may be applicable in the State Government for the equivalent posts.
10. **Interpretation**- In case of any doubts relating to any provision of these rules, the Home Department (Police Branch) will provide the final interpretation/explanation regarding the same.
11. **Repealing and Amending** – (i) The corresponding rules of Bihar Police Manual, 1978 will be considered accordingly amended after the provisions contained in Serial No. (I) to (V) of Rule-5 of these rules, relating to direct recruitment and promotion, come in to effect in Radio Organisation.
(ii) The Bihar Police Radio (Telecommunications) Subordinate Officer (Operation) Recruitment, Promotion and Cadre Rules, 1989 as notified vide Home Department notification no. 368 Dated 06.07.1989 and corresponding previous orders/ circulars/ directions are hereby repealed.

- (iii) Notwithstanding such repealing, the previous decisions, issued resolutions/rules/orders in this matter and the actions taken in the light of them would be deemed to be actions taken under these rules or under powers provided by these rules; as if these rules were in effect on that date.

By the Order of Governor of Bihar,
Ishwar Chandra Sinha,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 115-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>